



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

KALYANPUR, KANPUR-208024
कल्याणपुर, कानपुर-208024

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सा.प्रशा./4033/2020

दिनांक : 26/11/2020

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4, लखनऊ, अधिसूचना संख्या-3-ई0एम0/2012/का-4-2020 दिनांक 25 नवम्बर, 2020 में निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है।

“चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है:

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए हड़ताल, निम्नलिखित में निषिद्ध करती है:-

- (1) उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलापों से सम्बन्धित किसी लोक सेवा;
- (2) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा।

विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए हड़ताल, निषिद्ध की जाती है।

(डॉ० अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय, सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर।
2. समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/अधिकारीगण/कर्मचारीगण।
3. सिस्टम मैनेजर, को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त सन्दर्भित पत्र विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की लॉगिन पर आज ही अपलोड करने का कष्ट करें।
4. सम्पादक, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, आज एवं द टाइम्स ऑफ इण्डिया को इस अनुरोध के साथ प्रेषित उक्त कार्यालय ज्ञाप जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करे।
5. निजी सचिव कुलपति, माननीया कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।
6. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

4
कुलसचिव

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-4

संख्या-3-ई0एम0/2012/का-4-2020

लखनऊ: दिनांक: 25 नवम्बर, 2020

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या- 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्रख्यापित अधिसूचना संख्या-3-ई0एम0/2012/का-4-2020, दिनांक 25 नवम्बर, 2020 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:-

- (1) अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल।
- (2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
- (3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (6) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (7) निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश राज्य के 02 हिन्दी एवं 02 अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (8) संयुक्त निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री ऐशबाग लखनऊ को उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भग 4 खण्ड ख में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।
- (8) सचिवालय के समस्त अनुभाग।



(राजेश प्रताप सिंह)

अनु सचिव।

